

स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज (First dose) हेतु
आवेदन पत्र

बैंक का नाम:—

शाखा का नाम:—

स्वयं सहायता समूह के बारे में जानकारी

1.	स्वयं सहायता समूह का नाम	
2.	स्वयं सहायता समूह का पता	
3.	बैंक बचत खाता संख्या	
4.	समूह गठन की तिथि	
5.	समूह सदस्यों की संख्या	
6.	समूह गठन करने वाली संस्था का नाम	

स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता हेतु संस्था (Sponsoring Agency)

द्वारा निर्गत अनुरोध—पत्र

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

दिनांक : _____

..... बैंक

..... शाखा

विषय : स्वयं सहायता समूह को बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव का समर्पण

महाशय,

निम्नलिखित स्वयं सहायता समूह के ऋण प्रस्ताव को स्वयं सहायता समूह—बैंक क्रेडिट लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा प्रस्तावित किया जा रहा है।

क्र. सं.	स्वयं सहायता समूह का नाम एवं पता	सदस्यों की संख्या	समूह के प्राधिकारी (नाम एवं पता)	हस्ताक्षर
			अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष	

हमारे द्वारा समूह के प्राधिकृत अधिकारियों का हस्ताक्षर अभिप्राप्ति किया जाता है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से इसका निष्पादन यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद सहित,

भवदीय

(.....)

पदनाम-

संख्या-

स्वयं सहायता समूहों को आंकने के लिए जाँच सूची

(प्रथम मूल्यांकन हेतु)

क्रम	जाँच पड़ताल के घटक	अति उत्तम	उत्तम	असंतोषजनक
1.	समूह का आकार	13- 20	10 -12	10 से कम
2.	सदस्यों का स्तर	केवल बहुत ही गरीब परिवार के	2-3 ऐसे जो उतने गरीब नहीं	ज्यादातर सदस्य गरीब परिवार के नहीं
3.	मीटिंगों की संख्या	महीने के मीटिंग की संख्या हमेशा SHG के नियमावली के आधार पर. अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में चार मीटिंग	महीने के मीटिंग की संख्या ज्यादातर SHG के नियमावली के आधार पर. अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में दो मीटिंग	महीने के मीटिंग की संख्या कभी भी SHG के नियमावली के आधार पर नहीं. अगर नियमावली में जिक्र न हो तो महीने में दो से कम मीटिंग
4.	सदस्यों की उपस्थिति	80 प्रतिशत से ज्यादा	60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक	60 प्रतिशत से कम
5.	सदस्यों का मीटिंग में सहभाग	भारी प्रतिशत (80 प्रतिशत)	मध्यम प्रतिशत (50-80 प्रतिशत)	सामान्य से कम प्रतिशत (50 प्रतिशत से कम)
6.	समूह में बचत की राशि का जमा करना	महीने में चार बार (75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा)	महीने में तीन बार (50-75 प्रतिशत सदस्यों द्वारा)	महीने में तीन बार से कम
7.	बचत की राशि	सर्व सहमति से निर्धारित की गयी नियत राशि	सदस्य की क्षमता के अनुसार बदलती बचत राशि	कभी कभी बचत बन्द हो जाती है
8.	समूह के सदस्यों में वितरित कर्ज पर ब्याज की दर	मासिक अधिकतम 2 रूपये सैकड़ा	मासिक 2 या 3 रूपये सैकड़ा	मासिक 3 रूपये सैकड़ा से अधिक
9.	समूह में इकट्ठी की गई बचत राशि का उपयोग	संपूर्णतः सदस्यों को ऋण देने के लिए	आंशिक रूप में सदस्यों को ऋण देने के लिए	बचत की बहुत ही कम मात्रा सदस्यों को ऋण देने के लिए उपयोग की गई

10.	सदस्यों में वितरित ऋण की वसूली	80 प्रतिशत से ऊपर	80 से 70 प्रतिशत	70 प्रतिशत से कम
11.	लेखा किताबों का रखरखाव	सारे रजिस्टर नियमित रूप में रखे जाते हैं तथा उनमें प्रविष्टियाँ समय पर की जाती हैं।	सिर्फ जरूरी रजिस्टर (जैसे कार्यवृत्त, बचत, ऋण खाता आदि) ही नियमित रूप से रखे जाते हैं और उनमें प्रविष्टियाँ समय पर की जाती हैं।	रजिस्टरों का रखरखाव अनियमित है, समय पर अद्यतनीकरण का अभाव
12.	समूह की कुल कारपस राशि	रु. 1200 से ऊपर	रु. 1000 से 1200 तक	रु. 1000 से कम
13.	समूह के नियमों एवं शर्तों के बारे में सदस्यों का ज्ञान	सभी सदस्यों को नियमों एवं शर्तों की अच्छी जानकारी	ज्यादातर सदस्यों को अच्छी जानकारी और शेष को कुछ—कुछ	ज्यादातर सदस्यों को नियमों एवं शर्तों को ठीक तरह से जानकारी नहीं

* 10 से 13 घटकों में अति उत्तम होने पर ऋण दिया जायेगा।

* 8 से 9 घटकों में अति उत्तम होने पर 2 से 3 माह बाद पुनः ग्रेडिंग की प्रक्रिया की जायेगी और इस बीच समूह आवश्यक सुधार कर सकती है।

* 8 से कम घटकों में अति उत्तम होने पर सुधार की आवश्यकता होगी तथा 4 माह होने के बाद समूह पुनः ऋण हेतु आवेदन करेगा।

ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु बैंक को प्रस्तुत किए जाने वाला आवेदन—पत्र

- स्वयं सहायता समूह का नाम और पता :—

- गठन/स्थापना की तारीख :—.
- समूह का गठन किसी योजना के अंतर्गत (योजना का नाम)
या समूह के सदस्यों के प्रयत्न/प्रयास पर हुआ :—
- समूह के सदस्यों की संख्या :—
- समूह को सहायता देने वाले
(सरकार प्रायोजित संस्थान/
एस.एच.पी.आई/एन.जी.ओ.
का नाम (यदि कोई हो)

सेवा में, दिनांक.....
शाखा प्रबंधक

.....शाखा

.....बैंक

ऋण हेतु आवेदन—पत्र

प्रिय महोदय,

1. हम, उपर्युक्त स्वयं सहायता समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने हेतु कुल रु० (रुपये
.....) मात्र के ऋण (कैश क्रेडिट लिमिट/टर्म^l लोन) हेतु आवेदन कर रहे हैं। हमारे समूह का वित्तीय विवरण दिनांक
की स्थिति के अनुसार दिया गया है।

' जो सही नहीं हो उसे काट दें

2. हम बैंक द्वारा यथानिर्धारित चुकौती अनुसूची के अनुसार ऋण राशि की चुकौती करने के लिए सहमत हैं।
3. समूह के सभी सदस्यों द्वारा निष्पादित परस्पर करारनामा की प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें
अन्य बातों के साथ—साथ स्वयं सहायता समूह की ओर से हमें उधार लेने का प्राधिकार
प्राप्त है।

4. हम एतदद्वारा बैंक को यह प्राधिकृत करते हैं कि वह जैसा उचित समझे अपने बैंक में हमारे ऋण खाते से संबंधित कोई विवरण या सूचना नाबार्ड सहित किसी वित्तीय संस्था या किसी अन्य एजेन्सी को प्रकट कर सकते हैं। यदि इसके साथ दिए गए समूह से संबंधित कोई भी सूचना गलत पाई जाती है और/अथवा तथ्यों को तोड़—मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने से स्वयं सहायता समूह को अयोग्य करार दे सकता है और/अथवा इस आवेदन के तहत स्वीकृत सम्पूर्ण ऋण या उसके किसी भाग को वापस मांग सकता है।

वित्तीय विवरण (दिनांक की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	विवरण	राशि (रुपये)
1	समूह की बचत खाता संख्या	
2	समूह के बचत खाते में शेष राशि	
3	प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा राशि	
4	सदस्यों को कुल बचत में से वितरित ऋण राशि	
5	सदस्यों को दिए ऋण पर ब्याज की राशि	
6	समूह की बचत पर बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि	
7	समूह को प्राप्त अनुदान, परिक्रमी निधि, सीड मनी, इत्यादि की राशि	

नाम, पता तथा फोटो समूह के सभी सदस्यों का नीचे दिया जा रहा है :

सदस्य का नाम	सदस्य का फोटो	फोटो अभिप्रामाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील	पिता/पति का नाम तथा पता

सदस्य का फोटो	सदस्य का नाम	फोटो अभिप्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एवं सील	पिता / पति का नाम तथा पता

हम यह भी सूचित करते हैं कि समूह की बचत खाता संख्या है तथा बचत खाता खोलने की तारीख से आज के तारीख में समूह के सदस्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है/ निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है :

समूह के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि में परिवर्तन : (इनका के . वाई . सी . के तहत प्रलेख संलग्न)

अन्य सदस्यों में परिवर्तन:

हम एततद्वारा घोषित करते हैं कि ऊपर दिए सभी विवरण हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

क्रमांक	नाम	पद	मोबाइल संख्या	हस्ताक्षर
1				
2.				
3				

बैंक उपयोग हेतु

स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लिमिट देने हेतु अनुमोदन प्रस्ताव

बचत खाता संख्या

1. हमारे द्वारा—स्वयं सहायता समूह का भ्रमण किया गया है और सदस्यों से बात की गई है
 2. समूह अच्छा/औसत/सामान्य है।
 3. ग्रेडिंग सीट में स्वयं सहायता समूह द्वारा 13 में से..... अंक प्राप्त किये गये हैं जो ऋण देने योग्य/अयोग्य है।
4. अन्य टिप्पणी:

(हस्ताक्षर)

क्षेत्र भ्रमण अधिकारी

कैश क्रेडिट लिमिट/टर्म लोन* लिमिट रु0 शब्दों में रु0.....
..... स्वीकृत की जाती है।

* जो सही नहीं हो उसे काट दें

(हस्ताक्षर)

शाखा प्रबंधक

स्वयं सहायता समूह की नियमावली /आचार संहिता

(Rules and regulation of an SHG)

(यह प्रारूप एक सुक्षाव के रूप में है तथा SHG में इसी तरह का अथवा संशोधित नियमावली/आचार संहिता निर्धारित करें एवं एक प्रति बैंक को उपलब्ध करायें)

1. समूह का नामस्वयं सहायता समूह

2. पता :

ग्राम : पोस्ट :

ब्लॉक: थाना : जिला:

3. समूह के उद्देश्य:

- इस समूह के गठन के उद्देश्य अपने सदस्यों में मितव्ययिता, आपसी सहयोग एवं अपने सदस्यों में आर्थिक समाजिक विकास की भावना उत्पन्न करते हुए उनके द्वारा जमा किए गये धन को आपसी निर्णय से, आकस्मिक, उपभोग एवं उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना है।
- समूह की संगठित शक्ति से समाज सेवा के कार्य करना है।
- समूह की गतिविधियों को न्यूनतम छः माह तक भली भाँति संचालित करते हुए आवश्यक होने पर बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करना तथा आगे भी इसी प्रकार समूह की गतिविधियों को संचालित करते रहना ।
- समूह को मिलने वाला अनुदान, प्रशिक्षण, अन्य सहायता से सदस्यों को सक्षम व सफल स्व-रोजगारी बनाना ।
- योजना के अन्तर्गत समूह गठित किया गया है तथा योजना अनुसार चयनित क्रिया-कलाप में दक्षता प्राप्त करना ।

4. कार्य क्षेत्र :

- समूह द्वारा बचत एवं ऋण जैसी प्रमुख गतिविधियों को केवल अपने सदस्यों के मध्य ही संचालित किया जायेगा ।
- समूह के बाहर किसी भी व्यक्ति या संस्था को समूह द्वारा कोई ऋण प्रदान नहीं किया जायेगा ।
- सदस्य का निवास/कार्य/व्यवसाय/ का क्षेत्र वह स्थान जिसे 'समूह' चिन्हित करे।

5. समूह का सदस्य बनने हेतु योग्यता :-

- उनकी आयु 18 से कम और 60 वर्ष से अधिक न हो यद्यपि समूह के निर्णयानुरूप अधिकतम आयु सीमा व्यक्ति विशेष के लिए बदली जा सकती है।
- प्रस्तावित सदस्य कम से कम इतनी क्षमता रखता हो जो कि उसे समूह द्वारा निर्धारित साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बचत की राशि समूह के पास नियमित अन्तराल पर जमा करने में सक्षम बना सके।
- ग्राम का स्थायी निवासी ।
- असामाजिक/आपराधिक गतिविधियों में संलग्न न हो ।
- समूह के सभी सदस्य पुरुष/महिला/पुरुष एवं महिला हो सकते हैं।
- एक ही परिवार के दो सदस्य न हो ।

- किसी नशे का नियमित रूप से आदि न हो। यदि है भी तब उसे त्यागने का वचन ले।
- वह व्यक्ति जो किसी दूसरे स्वयं सहायता समूह का सदस्य न हो ।

6. सदस्यों की संख्या :

समूह में सदस्यों की संख्या नूयनतम से लेकर अधिकतम..... सदस्य तक रहेगी ।

7. सदस्य की अयोग्यता/समूह से निष्कासन की स्थिति : यदि कोई साधारण सदस्य/अथवा पदाधिकारी समूह की नियमावली एवं अनुशासन का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है तो वह समूह के सामूहिक निर्णय के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में समूह की सदस्यता के अयोग्य घोषित किये जाने का पात्र होगा ।

- जब कोई सदस्य अपनी निर्धारित मासिक बचत समूह के पास जमा करना बन्द कर देता है ।
- जब कोई सदस्य लगातार बैठकों में भाग नहीं लेता है ।
- जब कोई सदस्य लिए गए ऋण को अदा करने में लगातार अथवा जानबूझकर चूक करता है ।
- जब कोई सदस्य समूह की निधियों का गवन करता है या कराना चाहता है ।
- जब कोई सदस्य समूह के नियमों व शर्तों का पालन नहीं करता है ।
- जब कोई सदस्य समूह के हितों एवं गरिमा के विरुद्ध कार्य करता है ।

ऐसी स्थिति में आम सहमति के आधार पर उसे समूह से अलग भी किया जा सकता है तथा यदि उचित समझा जाए तब सर्वसम्मति से उसके स्थान पर किसी नवीन एवं उपयुक्त व्यक्ति को भी सदस्य बनाया जा सकता है ।

8. सदस्यता शुल्क एवं बचत का स्वरूप :-

- समूह की सदस्यता ग्रहण करते समय प्रत्येक व्यक्ति सर्व प्रथम रूपयेकी धनराशि सदस्यता शुल्क के रूप में, (केवल एक बार) समूह के पास जमा करेगा जो कि किसी भी स्थिति में उसको वापस नहीं की जाएगी (जीविका समूहों में यह लागू नहीं है) ।
- प्रत्येक सदस्य नियमित रूप से ₹0 मात्र (शब्दों में रूपये मात्र) की बचत राशि प्रत्येक माह की साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक आयोजित होने वाली समूह की बैठक में समूह के पास जमा करेगा ।
- समूह के निर्णय अनुसार, बचत की राशि में संशोधन / बदलाव किया जा सकता है ।

9. समूह के पदाधिकारी, उनका चयन व कार्य :

- समूह की खुली बैठक में सभी सदस्यों की उपस्थिति में आम सहमति से निम्नलिखित तीन संचालकों /पदाधिकारियों का मनोन्यन प्रथम बैठक में ही किया जाएगा। पदाधिकारियों का कार्यकाल वर्ष के लिए होगा. किन्तु कोई भी पदाधिकारी समूह के बहुमत से इस अवधि से पूर्व भी हटाया जा सकता है परन्तु नए पदाधिकारी का चयन पुनः आम सहमति से होगा। समूह का पदाधिकारी निष्पक्ष एवं ईमानदार होना चाहिए, ताकि वह समूह की गतिविधियों का कुशलता के साथ संचालन कर सके ।

(क) अध्यक्ष : सामान्यतः समूह के सर्वाधिक निष्पक्ष एवं निर्णय लेने में सक्षम व्यक्ति को अध्यक्ष मनोनीत किया जाएगा। जिसके प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित रहेंगे:

- समूह की बैठकों को आयोजित करना ।
- समूह के सदस्यों में परस्पर एकता एवं स्नेह बनाए रखते हुए समूह की बैठकों में प्रभावी एवं निष्पक्ष निर्णय लेने में समूह की सहायता करना ।
- सदस्यों को पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ समूह के निर्णयारूप ऋण वितरित करना ।
- अन्य कार्य जो समूह उचित समझे ।

(ख) सचिव : समूह में से बोलने में कुशल एवं समझदार व्यक्ति को समूह का सचिव मनोनीत किया जाएगा। सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य रहेंगे :

- समूह की बैठकों की कार्यवाही लिखना (जीविका समूहों में यह कार्य सी0एम0 अर्थात् सामुदायिक संगठक के द्वारा किया जाता है)।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समूह की बैठक की अध्यक्षता करना तथा बैठकों का आयोजन/संचालन करना ।
- बैंक से सम्बन्धित कार्य व बचत एवं ऋण से संबंधित रिकॉर्ड रखने में कोषाध्यक्ष की सहायता करना ।
- सदस्य पास बुक में प्रविष्टि करना ।
- अन्य कार्य जो समूह उचित समझे ।

(ग) कोषाध्यक्ष : समूह का कोषाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा जिसका व्यक्तित्व एवं वित्तीय चरित्र सर्वाधिक प्रामाणिक एवं पारदर्शी हो। कोषाध्यक्ष के निम्नलिखित कर्तव्य रहेंगे :

- समूह द्वारा बैठक के उपरांत शेष राशि को बैंक में जमा करना यदि राशि की आवश्यकता सदस्यों को अगली बैठक में ना हो।
- समूह के धन की सुरक्षा रखना ।
- समूह की बचत, ऋण तथा बैंक से संबंधित लेन-देन व ब्याज का हिसाब किताब सामुदायिक संगठक के माध्यम से संपूर्ण जानकारी रखना ।
- ऋण राशि समूह के सदस्यों को सभी सदस्यों की उपस्थिति में नगद देने तथा लिए गए ऋण की सदस्यों से वापसी प्राप्त करने में समूह को सहयोग करना ।
- समूह के बैंक जमा / ऋण खाते के संचालन में योगदान देना ।
- समूह की एक माह में हुई बचत (साप्ताहिक बैठकों के दौरान) का गुना धन समूह के सदस्यों की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगद के रूप में समूह द्वारा बैठक में राशि रखने हेतु अधिकृत सदस्य के पास रखना ।
- अन्य कार्य जो समूह उचित समझे ।

10 समूह के नाम की मुहर : समूह के नाम की एक रबड़ की मोहर समूह के सामूहिक खर्च से बनवाई जायेगी तथा इसका उपयोग समूह के बैंक खाते में जमा/निकासी हेतु सम्बन्धित फार्म तथा अन्य प्रपत्रों पर यथास्थान आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा ।

11. समूह की बैंक में बचत खाता खुलवाना :

- समूह का एक बचत बैंक खाता समूह के नाम से निकटवर्ती बैंक की शाखा में खुलवाया जायेगा ।
- यह खाता समूह के तीनों पदाधिकारियों 1. अध्यक्ष 2. सचिव 3. कोषाध्यक्ष द्वारा बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ खोला जायेगा ।
- समूह सदस्यता / पदाधिकारी परिवर्तन की सूचना बैंक को अविलम्ब प्रस्ताव के माध्यम से दी जाएगी अन्यथा स्थिति तक बैंक पर कोई परिवर्तन प्रभावी/मान्य नहीं होगा ।

12. बचत खाता / परिक्रमी निधि / साख सीमा / सावधि ऋण खाते का परिचालन :

- समूह के सभी खाते 'समूह के पूरे नाम' के साथ समूह के तीनों पदाधिकारियों के हस्ताक्षर से खाता खोला जायेगा। इस खाते में सम्पूर्ण लेने देन अर्थात् खाते का परिचालन समूह के तीनों पदाधिकारियों में से किन्हीं भी दो पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
- समूह के खाते के अन्तर्गत प्रत्येक निकासी के समय कितनी धनराशि किस व्यक्ति के लिये निकाली जा रही है, इस आशय का प्रस्ताव बैंक शाखा (5000 रु0 से ऊपर की धनराशि की निकासी पर) को दिखाया जायेगा।
- समूह के खाते से लेन-देन करते समय प्रत्येक जमा आहरण पर्ची पर समूह की मुहर अंकित करके यथा स्थान सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- समूह के नियमों के अनुरूप, किए गए सभी आहरण समूह के सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होंगे चाहे सदस्य विशेष बैठक में उपस्थित रहा हो अथवा नहीं।
- प्राधिकृत अधिकारीयों के लिखित अनुरोध पर ही समूह के बचत बैंक खाता परिचालन रोका जा सकेगा।

13. समूह की बैठक एवं आन्तरिक ऋण व्यवस्था :

- बैठक का प्रारम्भ सामूहिक प्रार्थना तथा समापन किसी 'चेतना गीत' से होगा।
- सामान्यतः समूह की साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठक आयोजित की जायेगी जिनमें 75 प्रतिशत सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति अनिवार्य होगी। समूह के बैठक में किसी प्रकार की निर्णय किये जाने के समय कम से कम कुल सदस्यों में 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य होगा।
- यदि कोई सदस्य बिना किसी असाधारण परिस्थिति या कारण से समूह की किसी बैठक में अनुपस्थित रहता है तो उस पर सामूहिक निर्णय के आधार पर अनुपस्थिति दण्ड (जुर्माना) लगाया जायेगा जो कि समूह के खाते में जमा हो जायेगा। यह दण्ड रूपये प्रति बैठक-अनुपस्थिति होगा।
- समूह की सामान्य साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठक में बचत की राशि प्रत्येक सदस्य द्वारा समूह में जमा की जायेगी तथा जिसकी प्रविष्टि तुरंत सी0एम0 के द्वारा सदस्यों की व्यक्तिगत पास बुकों में कर दी जायेगी। पास बुक में निर्धारित स्थान पर कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे। बचत की सामूहिक राशि यदि सदस्यों को जरूरत न हो तो बैंक में जमा की जा सकती है। इस बैठक में अन्य विषयों के अतिरिक्त प्रमुख रूप से सदस्यों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं, आय वृद्धि के कार्यक्रमों तथा सामाजिक विकास के कार्यक्रमों पर विचार करके निर्णय लिये जायेंगे।
- समूह की आगामी बैठक किस सदस्य के यहाँ होगी, इसका निर्णय समूह की बैठक में ही आम सहमति के आधार पर किया जायेगा।

- समूह की बैठक समूह के प्रत्येक सदस्य के निवास पर या उसके सुझाए गए स्थान पर बारी-बारी से होगी ।
- समूह की बैठक में सभी सदस्यों को बोलने का समान अधिकार एवं स्वतंत्रता होगी । समस्त निर्णय सामूहिक रूप से एवं आम सहमति के आधार पर ही लिये जाएंगे ।
- किसी भी सदस्य द्वारा निर्धारित अवधि अर्थात् समूह की बैठक में बचत की राशि समूह में न जमा कर पाने की स्थिति में उसे रूपये विलम्ब दण्ड अदा करना पड़ेगा ।

14. यदि कोई सदस्य निरंतर माह तक (..... साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बैठकों में) अपनी साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बचत की धनराशि समूह के पास जमा नहीं कर पाता है तो उसकी समूह से सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जायेगा ।

15. किसी सदस्य द्वारा सदस्यता छोड़ने की मांग करने पर उसके द्वारा जमा की गई बचत राशि उस पर आनुपातिक अर्जित ब्याज, उसके द्वारा लिये गये ऋण अथवा ब्याज आदि के पूर्ण समायोजन के पश्चात् लौटायी जा सकती है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में कोई भी निर्णय समूह की बैठक में आम सहमति से लिया जायेगा ।

16. समूह को बैंक से ऋण सुविधा प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक बचत की राशि पूर्ववत् जमा होना जारी रहेगा ।

17. समूह में किसी भी प्रकार का मतभेद या समस्या उत्पन्न होने पर उसे निपटाने के लिये खुलकर एवं गहराई के साथ समूह की बैठक में ही चर्चा होगी तथा आपस में बैठकर मुद्दे को समझकर निष्पक्ष रूप से सर्वसम्मति से निपटारा किया जायेगा ।

18. समूह द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों को विधिवत् रूप से अद्यतन रखा जायेगा ।

- नियमावली एवं कार्यवाही पुस्तिका
- समूह के लिये लेनदेन सम्बन्धी रख रखाव पुस्तिका
- सदस्यों की व्यक्तिगत पास बुक
- बचत एवं ऋण पुस्तिका
- बैंक द्वारा प्रदत्त समूह के बचत खाते एवं सी. सी. लिमिट (रिवालिंग फण्ड) खाते की पास बुक / खाता विवरण

19. बैंक से ऋण की प्राप्ति : जब समूह कम से कम 6 माह (छ: माह) तक सफलतापूर्वक बचत एवं आन्तरिक ऋण वितरण व उनकी वसूली जैसी गतिविधियों का संचालन अच्छी प्रकार से करेगा तब आवश्यकता होने पर समूह के पदाधिकारियों को समूह की बैठक में, आम सहमति के आधार पर बैंक व योजना के नियमानुसार समूह के नाम ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु समूह की ओर से अधिकृत किया जायेगा । बैंक से लिये जाने वाले ऋण की वापसी हेतु समूह का प्रत्येक सदस्य सामूहिक एवं अभिव्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा ।

20. यदि कोई सदस्य समूह गठन के बाद या ना जानकारी के कारण पूर्व से ही किसी संस्था का बकायादार है तब उसे उस ऋण की पूर्ण अदायगी हो जाने तक समूह को बैंक से प्राप्त ऋण राशि में से कोई ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा । किन्तु इस सदस्य को समूह के कोष (कारपस) से ऋण दिया जा सकता है ।

21. समूह की बैठक में प्रत्येक सदस्य अपनी आकस्मिक उपभोग अथवा उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगा जिस पर निर्णय आम सहमति के आधार पर लिया जायेगा। किसी सदस्य को अधिकतम ऋण उसकी कुल बचत का गुना ही प्रदान किया जाएगा।
22. जिन सदस्यों ने समूह से धन उधार लिया है वह उस ऋण की चुकौती निर्धारित भुगतान अवधि के अन्तर्गत ही तथा समूह की बैठकों में ही जमा करके पासबुक में यथास्थान प्रविष्टि करायेंगे। सदस्यों को दिये गए ऋण पर समूह प्रतिशत मासिक की दर से सदस्य से व्याज वसूल करेगा। किस्त अदायगी में चुक पर सदस्य प्रतिशत प्रतिमाह (चूक की अवधि पर) दण्ड वसूल किया जायेगा।
23. यदि कोई सदस्य स्वयं अपनी इच्छा से समूह की सदस्यता को त्यागना चाहता है तो उसे इस हेतु एक माह पूर्व समूह की बैठक में लिखित आवेदन देना होगा। इस प्रकार यदि सदस्यता से त्याग हो रहा है तो उस सदस्य पर समूह को कोई ऋण एवं / अन्य देय बकाया नहीं होना चाहिए। यदि कोई धनराशि बकाया है तो उसका हिसाब सदस्यता छोड़ने से पूर्व साफ करना होगा।
24. समूह के किसी भी नियम को बदलने का हक केवल समूह का होगा। नियम परिवर्तन सर्व सम्मति से आम बैठक में, जिसमें कुल सदस्यों की कम से कम दो तिहाई उपस्थिति हो, मान्य होगा। किसी भी नियम के परिवर्तन पर नया नियम व सम्बन्धित प्रस्ताव की प्रतिलिपि बैंक शाखा को दी जायेगी।
25. ऋण स्वीकृति / वितरण के उपरान्त यदि सदस्यता में परिवर्तन अथवा पदाधिकारियों में परिवर्तन होता है तब भी समूह द्वारा बैंक के पक्ष में निष्पादित अभिलेख, वैध माने जाएंगे।
26. समूह की वार्षिक बैठक :— प्रति वर्ष माह अप्रैल की प्रथम बैठक समूह की वार्षिक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक होगी। निम्नलिखित बिन्दुओं पर विमर्श एवं निर्णय समूह की इस वार्षिक बैठक में किया जायेगा—
- नये सदस्यों का समूह में प्रवेश।
 - सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों को उनकी बचत राशि निकालने की अनुमति देना तथा उनकी सदस्यता समाप्त करना।
 - बचत राशि में वृद्धि की जाए या नहीं इस विषय पर निर्णय लेना।
 - अन्य किसी विशेष नियम में परिवर्तन।
 - समूह के पदाधिकारियों का वर्तमान नवीन वर्ष हेतु परिवर्तन/नवीन मनोनयन जो कि आगामी 31 मार्च तक वैध होगा।
 - इसी बैठक में प्रत्येक वर्ष, गत वर्ष का 01 अप्रैल से 31 मार्च तक का लाभ हानि विवरण तथा वार्षिक तुलन पत्र समूह के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप तैयार करके अप्रैल माह की प्रथम बैठक में समूह के सभी सदस्यों के मध्य प्रस्तुत किया जाएगा तथा लाभ राशि का क्या उपयोग करना है इस पर भी आम सहमति से निर्णय लिया जाएगा।
 - समूह की इस सकल लाभ राशि पर समूह के प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होगा। इस लाभ राशि का उपयोग समूह की बैठक में आम सहमति के आधार पर होगा।

हस्ताक्षर

(अध्यक्ष)

(सचिव)

(कोषाध्यक्ष)

व्यवस्था पत्र

(ऋणी द्वारा इस व्यवस्था पत्र के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे हस्ताक्षर किया जाएगा)

श्री/ श्रीमती (अध्यक्ष)

श्री/श्रीमती..... (सचिव)

श्री/ श्रीमती.....(कोषाध्यक्ष)

.....स्वयं सहायता समूह

दिनांक

प्रिय महोदय/ महोदया,

स्वयं सहायता समूह : ऋण की संस्वीकृति

आपके आवेदन दिनांक.....जिसमें आपने.....(यहां आवेदित ऋण के प्रकार जैसे सीसी/ मीयादी ऋण आदि का उल्लेख करें) की संस्वीकृति हेतु अनुरोध किया था, के संदर्भ में हमें रु.....(रुपये मात्र) की ऋण सीमा.....(यहां ऋण के प्रकार का उल्लेख करें) निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन संस्वीकृत करते हुए हर्ष हो रहा है -

1. किसी भी आहरित रकम पर.....%.....अधिक/कम अर्थात.....%
न्यूनतम वार्षिक ब्याज जोअंतराल पर लागू होगा (इसमें समय-समय पर संशोधन होगा).
2. स्वयं सहायता समूह के तीन अधिकृत व्यक्तियों - अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के द्वारा खाता परिचालित होगा.
3. स्वयं सहायता समूह की कमी/ यथा-उल्लिखित कारणों से ऋण-सीमा का संवितरण यदि नहीं होता है तो संस्वीकृति तिथि से 6 माह के बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा.
4. चुकौती :
(क) नकद साख सीमा ऋण में ब्याज का नियमित भुगतान करना आवश्यक है. यदि 3 माह तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो खाता अनर्जक हो जाएगा और आहरण सीमा

शून्य हो जाएगी और स्वयं सहायता समूह को बैंक की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

(ख) मीयादी ऋण के मामले में दिनांक..... से प्रभावी रु.....(रुपये) के समान मासिक किस्तों या रु.....(रुपये) के मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक किस्त में देय होगा।

5. ऋण के संवितरण से पूर्व आपको निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करने होंगे -

- (क) समूह की बचत की संपुष्टि हेतु समूह के बचत बैंक का पासबुक
- (ख) समूह का माइक्रो साख योजना (मीयादी ऋण के मामले में)
- (ग) बैंक को ऋण प्रस्ताव देने के लिए समूह के सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति एवं प्रलेखों को निष्पादन करने के लिए प्रतिनिधियों को अधिकृत करने हेतु समूह के सदस्यों द्वारा अनुमोदित संकल्प की प्रति।
- (ग) स्वयं सहायता समूह को वित्तीयन हेतु अपेक्षित प्रलेखों का निष्पादन।

6. बिना किसी दंड के ऋण को चुकाने की अनुमति है।

7. इस खाते से सभी आहरण इस उद्देश्य के लिए निर्धारित आहरण-प्रपत्र के माध्यम से होंगे।

8. समूह की किसी घटना से बैंक को यदि यह महसूस होता है कि यह बैंक हित में नहीं है तो बैंक को ऋण वापस लेने का अधिकार है।

9. उपर्युक्त नियम एवं शर्तों से सहमत होने पर समूह के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अभिस्वीकृत कर इसकी दूसरी प्रति हमें वापस की जाए।

भवदीय,

शाखा प्रबंधक

हम उपर्युक्त नियम एवं शर्तों से सहमत हैं।

..... शाखा

..... बैंक

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

दिनांक

दिनांक

दिनांक

स्वयं सहायता समूहों का बैंकों के समस्त शाखाओं के साथ जुड़ाव (बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज) हेतु आवश्यक बातें

बचत खाता हेतु—

स्वयं सहायता समूह से निम्नलिखित कागजात प्राप्त कर बैंक शाखा द्वारा समूह के नाम से बचत खाता खोला जाएगा—

1. बचत खाता खोलने का साफ—साफ सुस्पष्ट शब्दों में भरा हुआ आवेदन पत्र।
2. समूह के नियमावली एवं बैठक के कार्यवाही की छायाप्रति जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव किया गया है।
3. समूह में बचत खाता खोलने संबंधी पारित प्रस्ताव की प्रति जिसमें बैंक एवं शाखा का स्पष्ट जिक्र किया गया हो तथा खाता संचालन हेतु निर्णय दर्ज हो (खाता संचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में किन्हीं दो के हस्ताक्षर द्वारा किया जाएगा)।
4. समूह के तीनों प्राधिकृत पदाधिकारियों के पहचान एवं पता का सबूत (KYC)। इस संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अनुसार यदि पहचान एवं पते के लिए दिये गये सबूत में वही पता दर्ज है जो समूह का खाता खोलने के आवेदन पत्र में दिया गया है तो अलग से पता एवं पहचान हेतु दूसरे कोई सबूत देने की आवश्यकता नहीं (रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र—RBI/2012-13/322 दिनांक—10 Dec, 2012)।
5. तीनों पदाधिकारियों के पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ (तीन—तीन)।

बचत खाता खोलने पर बैंक समूह के नाम से एक पासबुक निर्गत करेगा तथा बचत खाता खोलने हेतु कोई न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता नहीं है।

क्रेडिट लिंकेज हेतु—

1. छह माह पुराने (समूह गठन दिनांक से) या छह माह पूर्व गठित समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया जा सकता है बशर्ते समूह का कार्यकलाप सही हो तथा मूल्यांकन जांच सूची में समूह को न्यूनतम अंक आता हो।

2. प्रथम क्रेडिट लिंकेज कम से कम 50 हजार या कारपस का 4 गुणा, इसमें जो भी ज्यादा है वही राशि देय होगी (SLBC के द्वारा पारित एवं RBI/2012-13/559 दिनांक: 27 जून 2013 द्वारा निर्देशित)
3. क्रेडिट लिंकेज हेतु संपूर्ण भरा हुआ प्रपत्र जिसमें समूह के सभी सदस्यों का फोटोग्राफ अभिप्रमाणित हो तथा समूह की वित्तीय स्थिति की जानकारी भी दर्ज हो, वह समूह या समूह संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा जमा किया जायेगा।
4. क्रेडिट लिंकेज के समय पुनः KYC दस्तावेज समूह सदस्यों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नहीं लिया जायेगा, चूंकि दस्तावेज पूर्व में बचत खाता खोलने के समय प्राप्त कर लिया गया है (रिजर्व बैंक निर्गत परिपत्र RBI/2012-13/461 दिनांक— 01 अप्रैल 2013 - For RRBs एवं RBI/2012-13/459 दिनांक—28 मार्च, 2013 – For Commercial Banks)।
5. ऋण स्वीकृति के समय स्वीकृत ऋण राशि, ऋण का किश्त, ब्याजदर, ऋण अवधि इत्यादि बैंक द्वारा समूह को लिखित में सूचित किया जायेगा। (Letter of Arrangement के माध्यम से)
6. यदि ऋण कैश क्रेडिट (C.C limit) के रूप में ही दिया जा रहा है तो स्वीकृत ऋण राशि बचत खाता में अंतरण नहीं होगी बल्कि कैश क्रेडिट खाते से ही रकम की निकासी होगी।
7. समूह के सदस्य किस उद्देश्य के लिए ऋण लेंगे यह समूह द्वारा ही तय किया जायेगा।
8. यदि समूह के कुछ सदस्य बैंक के चूककर्ता हैं तो भी समूह को ऋण दिया जायेगा लेकिन चूककर्ता सदस्य तब तक इस बैंक ऋण का उपयोग नहीं कर पायेंगे, जब तक बैंक का बकाया अदा नहीं कर देते हैं। (इस संबंध में उक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा सम्बद्ध बैंक को वचन पत्र देना होगा कि चूककर्ता सदस्य तब तक इस बैंक ऋण का उपयोग नहीं कर पायेंगे, जब तक बैंक का बकाया अदा नहीं कर देते हैं, साथ ही उक्त सदस्य द्वारा बैंक का बकाया अदा करने पर भी बैंक को सूचित करेंगे)
9. सभी सदस्यों का दस्तावेज पर दस्तखत शाखा प्रबंधक या, शाखा के नामित अधिकारी के समक्ष कराया जायेगा।

10. ऋण राशि की निकासी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर द्वारा ही किया जायेगा।
11. स्वयं सहायता समूहों को द्वितीय लिंकेज समूह कारपस का 10 गुणा या 1.0 लाख रुपये में से जो भी ज्यादा है, वही ऋण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा (SLBC के द्वारा पारित दिनांक 18 सितम्बर 2013 एवं RBI/2012-13/559 दिनांक: 27 जून 2013 द्वारा निर्देशित)।
12. 10 लाख रुपये तक के लोन में किसी तरह के collateral security की आवश्यकता नहीं है (रिजर्व बैंक निर्गत परिपत्र RBI/2012-13/559 दिनांक: 27 जून 2013)।
13. स्वयं सहायता समूहों के लोन दस्तावेज में स्टाम्प ड्युटी राज्य सरकार द्वारा निर्देशानुसार ली जाएगी।

अन्य निर्देश—

1. समूह का बचत खाता फार्म प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर बचत खाता आवश्यक रूप से खोल दिया जायेगा। बचत खाता खोलने के कम में सभी सदस्यों का बैंक आना आवश्यक नहीं है।
2. समूह/प्रायोजित संस्थाओं द्वारा प्राप्त संपूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के आधार पर समूह का क्रेडिट लिंकेज समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए एक माह के अंदर किया जायेगा।
3. समूह के बचत खाता एवं क्रेडिट लिंकेज हेतु सेवा क्षेत्र अवधारणा लागू नहीं है।

स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा निष्पादित किये जाने हेतु परस्पर करारनामा
(सामान्य मुख्तारनामे के रूप में मुद्रांकित)

यह करारनामा सन् के माह दिन को

1. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
3. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
4. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
5. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
6. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
7. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
8. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
9. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
10. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और
11. श्री/ श्रीमती/ कुमारी
पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्रीआयु.....वर्ष
आवासीय पता , और

12.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
13.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
14.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
15.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
16.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
17.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
18.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
19.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता		, और	
20.	श्री / श्रीमती / कुमारी	वर्ष
	पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री	आयु	
	आवासीय पता			

जो समूह के सदस्य हैं तथा जिन्हें एतदपश्चात् सामूहिक रूप से 'स्वयं सहायता समूह के सदस्य' कहा गया है, के बीच सम्पादित किया गया। 'स्वयं सहायता समूह के सदस्य' कथन में, जब तक प्रसंग या तात्पर्य के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो, उक्त स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य, उसके सम्बन्धित विधिक उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक शामिल हैं। अतः स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य राज्य के तालुका के गाँव के निवासी हैं और एक दूसरे से परिचित हैं, अतः ऊपर उल्लेखित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने स्वेच्छा से मिलकर एतदपश्चात् उल्लेखित शर्तों के अनुसार आपसी हितों के लिए बचत, ऋण और अन्य आर्थिक गतिविधियों को चलने के लिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया है,

अतः अब यह करारनामा इस प्रकार साक्षात्कित किया जाता है:

1. स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य रु (रुपये) मात्र की राशि, अथवा समूह द्वारा जो राशि निश्चित की गयी हो, साप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक आधार पर समूह के प्राधिकृत सदस्य के पास जमा करेगा.
 2. हर सदस्य स्वयं सहायता समूह की सफलता के लिए प्रयत्न करेगा और ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो स्वयं सहायता समूह के व्यावसायिक हितों के विरुद्ध हो.
 3. स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रसंविदा किये गए सभी प्रकार के ऋणों के लिए उसके सभी सदस्य संयुक्त रूप और पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होंगे.
 4. स्वयं सहायता समूह द्वारा अर्जित की गयी सभी परिसम्पत्तियाँ समूह के सभी सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व में रहेंगी और सामान्यतः किसी ऐसे सदस्य की अभिरक्षा में रहेंगी जिसे समूह द्वारा प्राधिकृत किया गया हो. ये परिसम्पत्तियाँ स्थित कारोबार के स्थल पर रखी जायेगी और उस स्थान को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सहमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा.
 5. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने श्री/ श्रीमती/ कुमारी को रूप में, श्री/ श्रीमती/ कुमारी को रूप में, श्री/श्रीमती/ कुमारी को रूप में, (कोई भी पदनाम रखा जाये) चुना है एवं नियुक्त किया है जो स्वयं सहायता समूह की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों की व्यवस्था व सञ्चालन करेंगे और उससे सम्बंधित सभी प्रकार के मामलों में उसकी ओर से तथा उसके नाम से कार्य करेंगे, तथापि, प्राधिकृत प्रतिनिधियों को किसी भी समय सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और उसी प्रकार नये प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं.
 6. स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य एतदद्वारा ऐसे सभी कार्यों और विलेखों का अनुसमर्थन और अनुपालन करने के लिए सहमत हैं जो प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त गतिविधियों के हितों की रक्षा के लिए करते हैं.
 7. प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह के दैनिक मामलों की देखभाल करने में, विशेषकर निम्नलिखित गतिविधियों के निष्पादन में, सक्रिय रूप से भाग लेगा.
- स्वयं सहायता समूह का प्रत्येक सदस्य एतदद्वारा अपने प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करता है कि वे स्वयं सहायता समूह की ओर से ऋण हेतु आवेदन करें और इस प्रयोजन हेतु समूह की ओर से यथावश्यक करार/ प्रलेख सम्पादित करें, प्राधिकृत प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह की ओर से बैंक से ऋण की राशि प्राप्त करें, उस राशि को समूह के बचत खाते में जमा करें और समूह के निर्णयों के अनुसार उसमें से सदस्यों को ऋण प्रदान करें तथा ऋण की किस्तों की वसूली की राशि को बैंक के पास स्वयं सहायता समूह के ऋण खाते में जमा करें.

8. स्वयं सहायता समूह के सदस्य एतदद्वारा प्रतिनिधियों को निम्नलिखित कार्यों के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करते हैं:

(i) स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुमोदित (.....) बैंक में बचत खाता, मियादी जमा और अन्य खाता खोलना और उसे निम्नलिखित प्राधिकृत में से किन्हीं दो से हस्ताक्षर से संचालन करना:

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

श्री/ श्रीमती/ कुमारी

श्री/श्रीमती/ कुमारी

(ii) स्वयं सहायता समूह द्वारा की गयी बचतों, उन्हें प्रदान किये गये ऋणों, उनसे प्राप्त वसूलियों के सम्बन्ध में उचित एवं व्यवस्थित खाता-बही तैयार रखना या रखवाना तथा प्रति वर्ष सम्पूर्ण लेखा को स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के समक्ष उनके अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना.

(iii) स्वयं सहायता समूह को देय सभी प्रकार के भुगतान प्राप्त करना और समूह की ओर से अपेक्षित रसीदें या पावतियां जारी करना.

(iv) स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की ओर से कोई विधिक कार्यवाही शुरू करना या प्रतिवाद करना तथा सभी सदस्यों के हितों की रक्षा करना और इस प्रयोजन हेतु किसी अधिवक्ता, वकील या अभिकर्ता को लगाना या उसे विमुक्त करना तथा इससे सम्बंधित सभी प्रकार के विधिक व्ययों को वहन करना.

9. स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के दिवंगत हो जाने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी सुविधाओं का हकदार होगा तथा इस करारनामे के अंतर्गत मृतक सदस्य की सभी प्रतिबद्धताओं के लिए भी जिम्मेदार होगा.

10. करार किया जाता है कि वर्तमान सभी सदस्यों की सहमति के बिना स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में किसी भी नये व्यक्ति को शामिल नहीं किया जायेगा.

उपर्युक्त के साक्ष्य में स्वयं सहायता समूह के पूर्वोक्त सदस्यों ने सन् के
..... माह के दिन को स्थान
पर अपने अपने हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान दर्ज किये.

क्रमांक	स्वयं सहायता समूह सदस्य का नाम	हस्ताक्षर/ अंगूठा
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

टिप्पणी: स्वयं सहायता समूह में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे .

स्वयं सहायता समूह को वित्त प्रदान करते समय बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले करार की शर्तों का प्रपत्र

यह करारनामा सन् के माह दिन को
..... में मेसर्स

..... (स्वयं सहायता समूह का नाम) लोगों/व्यक्तियों का एक गैर-पंजीकृत समूह,
जिसका कार्यालय में है, जिसका प्रतिनिधित्व इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि

श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम)

और श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम)

और श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम) ने
किया, जो स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों द्वारा पूर्णरूपेण प्राधिकृत हैं (इस प्रकार के
प्राधिकरण-पत्र की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है और वह इस करार का एक भाग है) जिसे इसमें
आगे “ऋणकर्ता” कहा गया है, उसके विषय या विषयवस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यंजना न
हो, का अर्थ और उसमें तत्सम गैर-पंजीकृत समूह के सदस्य, उनके संबंधित उत्तराधिकारी, कानूनी
वारिस, प्रशासक और समनुदेशिति शामिल हैं, एक पक्ष और अधिनियम के
अन्तर्गत स्थापित (बैंक का नाम) एक कोर्पोरेट
निकाय, जिसका प्रधान कार्यालय और साथ-ही-साथ जिसका
एक शाखा में है, जिसे इसमें आगे “बैंक” कहा गया है, उसके विषय या
विषय-वस्तु में जब तक कोई प्रतिकूल अभिव्यन्जना न हो, का अर्थ और उसमें उत्तराधिकारी और
समनुदेशिति हैं, दूसरे पक्ष के द्वारा और के बीच में 20
के दिन यह करार किया गया। यथा ऋणकर्ता लोगों की एक गैर-पंजीकृत
संस्था है, जो अपने सदस्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को विकसित करने और सुधारने की
दृष्टि से स्वयं सहायता समूह के रूप में बनाने पर ऋणकर्ताओं ने दिनांक
के संकल्प (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुशरण में ऋण लेने के लिए विधिवत प्राधिकृत उक्त

श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम) ,

श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम)

और श्री / श्रीमती (नाम) (पदनाम)

द्वारा किये गये आवेदन के अनुसार बैंक से अनुरोध किया है कि वे रु0 का ऋण
प्रदान करें/ रु0 (रूपये मात्र) तक की सीमा तक ऋण
सुविधा प्रदान करें जिसमें से वे अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करेंगे। और यथा बैंक ऋणकर्ता समस्त
शर्तों को लिपिबद्ध करने के इच्छुक हैं।

अतः अब यह करार निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है :

1. बैंक रु0 (रूपये मात्र) तक मियादी
ऋण/नकद ऋण (बेजमानती) सीमा के रूप में ऋण प्रदान करने और ऋणकर्ता ऋण लेने
के लिए सहमत है और बैंक ने अपने बही-खाते में ऋणकर्ता के नाम से दिनांक
..... को (खाते के प्रकार का उल्लेख करें) खाता सं खोला है.
2. यदि नकद ऋण सुविधा का उपयोग किया जाता है तो ऋणकर्ता संतोषप्रद ढंग से और सीमा
के अधीन नकद ऋण खाते का परिचालन करेगा और ऋणकर्ता व्याज सहित खाते में बकाया
देयता और समय—समय पर नामे किये गये अन्य प्रभारों की चुकौती मांग किये जाने पर, बिना
किसी आपत्ति के करेगा।
3. यदि लिए गये मांग ऋण है, मांग पर ऋण वापस मांगने के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल
प्रभाव डाले बिना, ऋणकर्ता संस्वीकृति की शर्तों में निर्धारित अवधि के भीतर व्याज सहित
ऋण और अन्य प्रभारों की चुकौती करने का वचन देता है।
4. यदि ऋणकर्ता द्वारा उपयोग की गयी ऋण सुविधा मियादी ऋण है तो उसकी चुकौती इसमें
नीचे दी गई चुकौती अनुसूची में उल्लिखित ढंग से की जायेगी (उल्लेख करें) इसके
अतिरिक्त, ऋणकर्ता इस प्रकार के ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा
समय—समय पर निर्धारित दरों पर व्याज का भुगतान करेगा।
5. इसके दोनों पक्षों और उनके बीच यह स्पष्ट समझौता हुआ है कि यदि ऋणकर्ता ऋण सुविधा
की राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए करने में असफल रहता है जिस प्रयोजन के लिए
बैंक ने ऋणकर्ता को यह सुविधा उपलब्ध करायी है, तो ऋणकर्ता अन्य कानूनी कार्रवाई करने
के बैंक के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मांग पर व्याज के साथ बिना किसी प्रकार
की आपत्ति के तत्काल चुकौती करेगा।
6. ऋणकर्ता ऋण खाते में दैनिक शेष पर परिकलित किये जाने वाले और उसमें तिमाही आधार
पर नामे किये जाने वाले ऋणों पर या बैंक जिस तरह निर्णय करे व्याज का भुगतान करेगा।

7. ऋणकर्ता अपने सदस्यों और उनके परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करने के प्रयोजन के लिए ऋण सुविधा की राशि का उपयोग करेगा।
8. ऋणकर्ता उपयोग किये गये ऋण की राशि की चुकौती तथा उसके साथ इस प्रकार के ऋणों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।
9. ऋणकर्ता बैंक के नियमों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा बैंक को देय ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ, मांग पर ऋण की राशि की चुकौती करने के लिए बाध्य होगा।

चुकौती अनुसूची (कृपया उल्लेख करें) :-

इसके दोनों पक्षों ने साक्ष्य स्वरूप शुरू में इसके ऊपर लिखित दिनांक
माह वर्ष को हस्ताक्षर किये।

स्वयं सहायता समूह के लिए :-

क्रम सं०	प्राधिकृत प्रतिनिधि	हस्ताक्षर
1.	अध्यक्ष	
2.	सचिव	
3.	कोषाध्यक्ष	

बैंक के वार्ते :-

पटनाम	हस्ताक्षर